

NATIONAL HOUSING BANK
New Delhi, the 13th March, 2015

Notification No. NHB.HFC.NCD-DIR.2/CMD/2015 - In exercise of the power conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely-

1. Amendment of Paragraph 7

In paragraph 7 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014,

- (i) Sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely:-

“(1)(a) There shall be a limit of 200 subscribers for every financial year, for issuance of NCDs with a maximum subscription of less than ₹1 crore, and such subscription shall be fully secured;”

“(1)(b) There shall be no limit on the number of subscribers in respect of issuances with a minimum subscription of ₹1 crore and above; and the option to create security in favour of subscribers will be with the issuers. Such unsecured debentures shall not be treated as public deposits as defined in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.”

- (ii) Sub-paragraph (2) shall be substituted by the following, namely:-

“(2)(a) The minimum subscription per investor shall be ₹20,000/-;”

“(2)(b) The issuance of private placement of NCDs shall be in two separate categories, those with a maximum subscription of less than ₹1 crore and those with a minimum subscription of ₹1 crore and above per investor.”

2. Amendment of Paragraph 12

In paragraph 12 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, after sub-paragraph (3), the following shall be inserted, namely:-

“12(4) The provisions of the above paragraph shall not apply to any amount raised by issuance of non-convertible debentures **with a maturity more than one year and** having the minimum subscription per investor at Rs.1 crore and above, provided that such debentures have been issued in accordance with the guidelines issued by the National Housing Bank as in force from time to time in respect of such non-convertible debentures.”

3. Amendment of Paragraph 16

In paragraph 16 of the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014, the following shall be inserted after the end of the existing paragraph, namely:-

“Tax exempt bonds offered by HFCs are exempted from the applicability of these Directions.”



Arnab Roy
Executive Director

राष्ट्रीय आवास बैंक
National Housing Bank
कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर
Core 5-A, India Habitat Centre
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Lodhi Road, New Delhi-110003

राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.2/सीएमडी/2015 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः:

1. अनुच्छेद 7 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 7 में -

(i) उप-अनुच्छेद (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः:

"(1)(क) 1 करोड़ रुपये की अधिकतम अंशदान के साथ एनसीडीज जारी करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ग्राहकों की सीमा 200 होगी एवं ऐसा अंशदान पूर्णतः सुरक्षित होगा,"

"(1)(ख) 1 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ जारी करने के संबंध में ग्राहकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी एवं ग्राहकों के पक्ष में प्रतिभूति तैयार करने का विकल्प उपयोग जारीकर्ता के पास होगा। ऐसे गैर अरक्षित डिबेंचरों को सार्वजनिक जमा नहीं समझा जाएगा यथा आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 21010 में परिभाषित है।

(ii) उप-अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामतः:

"(2) (क) प्रत्येक निवेशक का न्यूनतम अंशदान 20,000/- रुपये होगा।"

"(2) (ख) एनसीडीज का निजी स्थानन का निर्गम दो अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा प्रति निवेशक 1 करोड़ रुपये के अधिक अंशदान के साथ एवं 1 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ।"

2. अनुच्छेद 12 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 12 में उप-अनुच्छेद (3) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः:

"12 (4) उपरोक्त अनुच्छेद के प्रावधानों में एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम अंशदान लागू नहीं होगा परंतु ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे

3. अनुच्छेद 16 का संशोधन

निजी स्थानान आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 16 में मौजूदा अनुच्छेद के आखिर में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः:

"आ.वि. कंपनी द्वारा पेश किया गया कर मुक्त बांडों में इन निर्देशों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गई है।"



अर्णव राय

कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक
National Housing Bank
कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर
Core 5-A, India Habitat Centre
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
Lodhi Road, New Delhi-110003